निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 17 / 2023
दायरा दिनांकः—31.03.2023
निर्णय दिनांकः— 23-7-24

उनवान

1. बाबूलाल आयु 61 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम नियामतपुर
2. कोमल सिंह आयु 52 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम नियामतपुर थाना बापचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लड्डुगोपाल आयु 28 वर्ष पुत्र मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन
2. हरिसिंह आयु 20 वर्ष पुत्र मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन
3. कमला बाई आयु 50 वर्ष पुत्री मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन
4. रम्मा बाई आयु 48 वर्ष पुत्री मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन
5. गुड्डी बाई आयु 28 वर्ष पुत्री मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन
6. खेमी बाई आयु 28 वर्ष पुत्री मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन
7. तरा बाई उर्फ तालसा बाई आयु 40 वर्ष पुत्री मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. मन्नी बाई उर्फ नैनी आयु 51 वर्ष पुत्री मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन
9. कांतिबाई आयु 22 वर्ष पुत्री मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन
10. गंगा बाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्व0 मोती जाति बंजारा निवासी ग्राम भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए. एक्ट
निर्णय दिनांकः— 23-7-24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भंवर सिंह जादौन — प्रार्थी
2. श्री विजय शर्मा — अप्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 251 (क) आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के शामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 109 खसरा नम्बर 179 / 1 की रकबा 2.7822 है0 भूमि वाके माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है जिस पर प्रार्थीगण [illegible] वर्षों से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं [illegible] बिन्दु से दर्शाया गया है। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 10 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अन्य आराजीयात सहित भूमि खाता [illegible] नम्बर 179 / 2 की रकबा 0.9738 है0 भूमि वाके माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में स्थित है जो वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 ता 2 व 10 के कब्जे काश्त मं चली आ रही है जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:35 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

नजरी नक्शे में E बिन्दु से चिन्हित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया जा रहा है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। जिसमें विवादित स्थल लाल स्याही से दर्शाया गया। तथा उसकी चतुर्थ सीमाओं को विभिन्न बिन्दुओं से चिन्हित किया गया है। प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 179/1 की रकबा 2.7822 है0 व अप्रार्थीगण 1 ता 2 व 10 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 179/2 की रकबा 0.9738 है0 वाके माल भूलोन तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान में स्थित है तथा दोनो के मध्य 14 फिट चौडा और 216 फिट लम्बा कदीमी रास्ता स्थित है जो ग्राम भूलोन मानपुरा ग्रेवल रोड से पूर्व दिशा की ओर गिर्राज रामजीवन, बृजेश मीना के खेत तक जाता है जिसे नजरी नक्शे में G बिन्दु से दर्शाया गया है। तथा प्रार्थीगण के कदीमी रास्ते को नजरी नक्शे में A , B , C , D बिन्दुओं से दर्शाया गया है तथा इसी रास्तें से प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के काल से हल , कूली , ट्रेक्टर , ट्रोली आदि कृषि संयत्र लाते ले जाते चले आ रहे है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण विगत् सो वर्षो से भी अधिक समय ये पूर्वजो के काल से करता चले आ रहा है जिसे नजरी नक्शे में A B C D बिन्दुओं से दर्शाया गया है। उपरोक्त अनुसार प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर आवागमन का एक मात्र रास्ता है इसके अलावा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के कृषि आराजीयात के राजस्व की तथा नक्शा ट्रेस की नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वर्तमान में अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति उत्पन्न हो जाने के समय के अनुसार उन्होने भूमि खसरा नम्बर 179/2 की रकबा 0.9738 है0 के मध्य की रास्ते की भूमि को साल दर साल ट्रेक्टर चलाकर रास्ते की भूमि को फाडकर अपनी भूमि से मिलाते चले आ रहे है जिसके परिणाम स्वरूप कादीमी रास्ता काफी सकडा कर दिया है तथा अब उपरोक्त रास्ते को स्थाई रूप से समाप्त करने पर आमादा है अपने इस उद्धेश्य की पूर्ति के लिये अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 जो आर्थिक एवं शारीरिक तौर पर उत्पन्न है दिनांक 20.03.2023 को नजरी नक्शे में चिन्हित A , B बिन्दु पर कांटो की बाड लगाकर प्रार्थी के आम रास्ते को स्थाई तौर पर बंद करने के उद्धेश्य से कांटो के झाड गाढ दिये जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 के इस अवैधानिक कृत्य को रोकने का प्रयास किया तो अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 ने प्रार्थीगण गाली गलोच कर लडाई झगडा किया तथा अप्रार्थीगण 3 ता 10 ने प्रार्थीगण को 354,376 जैसे संगीन मुकदमें में फसाने की धमकी दी। अप्रार्थी 1 ता 10 की उक्त धमकी से प्रार्थीगण पूर्ण रूपेण आशंकित है कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 प्रार्थीगण की कादीमी रास्ता जो खसरा नम्बर 179/1 व खसरा नम्बर 179/2 के मध्य स्थित है। को स्थाई तौर पर समाप्त कर देगे। जिसके परिणाम स्वरूप प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर ट्रेक्टर ट्रोली हल कुली बैल ट्रेक्टर कृषि यंत्र आदि नही ले जा सकेगें। जिससे प्रार्थीगण की [illegible] रह जावेगी और उन्हे ऐसी अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप से नही की जा सकेगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 25 (क) के तहत श्रीमान को प्रदत प्रावधानो के अनुसार प्रार्थीगण को खातेदारी की कृषि आराजी पर आने जाने के लिये भूमि खसरा नम्बर 179/1 व 179/2 के मध्य रास्ते को विस्तारित चौडा कराने का पूर्णरूपेण अधिकार प्राप्त है। जिसकी चौडाई 14 फिट लम्बाई 216 फिट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तक की हो जिसके माध्यम से प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी पर आ जा सके एवं कृषि यंत्र ले जा सकें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण का कारण दिनांक 20.03.2023 को उत्पन्न हुआ जबकि अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 ने प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने के भूमि खसरा नम्बर 179/1 व भूमि खसरा नम्बर 179/2 के मध्य स्थित 100 वर्ष पुराने कदीमी रास्ते का नजरी नक्शे में चिन्हित A , B बिन्दु पर कांटो की झाड लगाकर आम कदीमी रास्ते को स्थाई रूप से बंद कर दिया। तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 10 के उक्त अवैधनिक कृत्य को रोकने पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 ने गाली गलोच व लडाई झगडा किया तथा प्रार्थीगण व उसके परिवारजन को 354 व 376 आई0पी0सी0 के संगीन मुकदमें में फसाने की धमकी दी। भूमि खसरा नम्बर 179/1 व भूमि खसरा नम्बर 179/2 के मध्य 14 फिट व 216 फिट लम्बा रास्ता स्थाई रूप से कायम करने हेतु प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करतें है प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करतें है इस क्रम में अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जितनी जितनी कृषि आराजी रास्ते के लिये उपयोग व उपभोग में आवेगी उसकी राशि प्रदत प्रावधानो के अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अदा करने को तत्पर है तथा रासते को राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित कराने हेतु प्रार्थना है। जिसके लिये राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील छबडा को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी क्रम 11 बनाये गये है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 109 नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 165 पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त करते चले आ रहे अप्रार्थीगण 1 ता 10 के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भी ग्राम भूलोन में स्थित है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य 14 फिट चौडा और 216 फिट लम्बा कादीमी रास्ता स्थित है जो भूलोन मानपुरा ग्रेवल रोड से पूर्व दिशा की ओर गिर्राज, रामजीवन, बृजेश, मीना के खेत तक जाता है प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से हज कुली ट्रेक्टर ट्रोली लेकर आते जाते थे प्रार्थी को अपनी भूमि पर आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है जिसकी वजह से यह प्रार्थना पत्र पेश करना पडा भूमि खसरा नम्बर 179/1 व भूमि खसरा नम्बर 179/2 के मध्य 14 फिट व 216 फिट लम्बा रास्ता स्थाई रूप से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। जिससे प्रार्थीगण को हमेशा के लिये आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना नही पडे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:35 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया। जवाब में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में चाहे गए अनुतोष व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नजरी नक्शे में दर्शाया गये बिन्दओं पर रास्ते कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 को रास्ता दिये जाने में किसी प्रकार की कोई आपात्ति नही है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–76 खाता संख्या 109 में कोमल सिह पुत्र जानकीलाल हिस्सा 1/2 बाबूलाल पुत्र जानकीलाल हिस्स 1/2 दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम भूलोन सम्वत् 2074–76 खाता संख्या 165 के खसरा नम्बर 179/2 रकबा 0.9738 है0 प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है वादी/प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि एक दुसरे की भूमि से लगी हुई है रास्ते के संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई प्रार्थी बाबूलाल, कोमलसिंह के खाते की भूमि खसरा नम्बर 179/1 रकबा 2.7822 है0 पर पहुचने हेतु रास्ते का मौका देखा गया प्रार्थीगण खसरा नम्बर 179/1 तक पहुचने के लिये खसरा नम्बर 179/2 में होकर रास्ता चाहता है वादीगण आने जाने एवं कृषि यंत्र ट्रेक्टर आदि के लिये 14 फिट चौडा रास्ता चाहता है वादीगणो के लिये यह सबसे लघुत्तम रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है उक्त खसरो में किसी माननीय न्यायालय का कोई स्थगन नही है। खसरा नम्बर 179/2 रकबा 0.9738 है0 के खातेदार हरिसिंह लड्डुगोपाल, पुत्र मोती हिस्सा 1/5 कमलाबाई, कान्तिबाई, खेमी बाई, गुड्डी बाई, तारा बाई, मन्नी बाई, रमा बाई, पुत्रिया मोती हिस्सा 7/10 गंगा बाई पत्नि मोती हिस्सा 1/10 जाति बंजारा की भूमि मे से 14 फिट चौडा एवं 216 फिट लम्बा यानि 3024 वर्गफिट = 0.0280 है भूमि रास्तें में जायेगी। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 को रास्ते देने में किसी प्रकार की कोई आपात्ति नही होना बताया रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर है इससे यह साबित होता है कि अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिये तैयार है तहसीलदार छबडा एवं अप्रार्थीगण के जवाब के आधार पर प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 179/2 की मेड पर होकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम भूलोन तहसील छबडा के खसरा नम्बर 179/2 की मेड से संलग्न नजरी नक्शानुसार 14x216 = 3024 वर्गफिट खसरा नम्बर 179/1 जो प्रार्थीगण के खातेदारी की है पर पहुंचने हेतु रास्ता कामय किया जाता है उक्त रास्ते हेतु प्रार्थीगण वर्तमान DLC दर का दोगुना राशि तहसील कार्यालय में जमा करावे। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान खातेदारों को किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:23:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय लिखाया [illegible] गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा